

गंगा नदी
मय हुक्म
नं. 100/19

13/12/19

मिलल पेश। आधुनिकीकरण अथवा परियोजना
लाकार 240/ विभाजन प्रस्ताव हेतु अर्जा
द्वारा पेश गयी। मिलल न्याय के अंतर्गत
विभाजन प्रस्ताव हेतु दिनांक 24/12/19
को पेश है।

24/12/19

मिलल पेश। कादिमा अधिवक्ता उपस्थित
कादिमा अधिवक्ता द्वारा अर्जा - पत्र पेश
कर निवेदन किया कि अर्जा के अंतर्गत
अनुपार के अन्वय अराजी न्याय अंतर्गत
छेने छ रह गये है। मिलल अर्जा के
कारण अर्जा के विभाजन का दावा न्याय
द्वारे से किया जाना आवश्यक है। मिलल
अर्जा को सख्त से रह गये अराजी
न्याय के अन्वय न्याय पेश करने
के अनुपार के अन्वय अन्वय बाद अर्जा का
आदेश उदात्त किया जाना आवश्यक व
अनुपारित है।

आ: कादिमा अधिवक्ता का
अर्जा न्याय स्वीकार किया जाकर
बाद पेश किया गया है।
पुनः मिलल अर्जा हेतु न्याय
पेश है।

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

